न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 18/2015 (225)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00012

उनवान

बृजेन्द्र पुत्र धूपी जाति जोगी निवासी खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बल्देव पुत्र चरनदास जाति ब्राहम्ण निवासी खानुआ तहसील रूपवास हाल निवासी दिवाकरी रोड अलवर।
2. जगतराम पुत्र कन्डोमल जाति सिक्ख निवासी खानुआ तहसील रूपवास।
3. सरदार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति सिक्ख निवासी खानुआ तहसील रूपवास।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 14.08.2015 मु0संख्या 206/11 उनवानी बृजेन्द्र बनाम बल्देव।

अभिभाषकगण :–
1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री तालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 04.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा संख्या 104/2010 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 पेश किया, जो दिनांक 07.12.2010 को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद वादी एवं अभिभाषक वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ। उक्त दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 4 सी.पी.सी प्रस्तुत किया जो अपीलाधीन आदेश दिनाांक 14.08.2015 से वादी अभिभाषक को बार–बार अवसर दिये जाने के बाबजूद भी प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश नहीं करने के कारण 09 रूल 05 के तहत खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वक्त तारीख पेशी अपीलाण्ट बीमार पड गया एवं उनके अभिभाषक भी अन्य अदालतो में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिये उक्त दिनांक को पैरवी हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त फरमा दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने तुरन्त, बिना देरी के वाजवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त बाजवा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की तलवी में विचाराधीन था एवं वादी द्वारा समय–समय पर प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन तलवाना भी प्रस्तुत किया परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा अदम तकमील में खारिज करने की भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट अपने दावे को मैरिट पर निस्तारण कराना चाहता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल दावा संख्या 104/2010 पेशी दिनांक 07.12.2010 को प्रतिवादीगण की तलवी हेतु निर्धारित था। परन्तु अभिभाषक वादी एवं वादी के उक्त दिनांक को पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु अपीलाण्ट/वादी ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 206/2011 आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जो अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/वादी को कई अवसर दिये जाने के बाबजूद भी रैस्पो0/प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश नहीं करने के कारण अदम तकमील में खारिज हुआ। हमने गौर किया। वादी/अपीलाण्ट अपने स्वयं के आचरण से रैस्पो0/प्रतिवादी की तलवी रोके हुये हैं आदेशिका दिनांक 14.08.2015 अनुसार अपीलाण्ट/वादी को प्रतिवादी/रैस्पो0 की तलवी हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद भी सम्मन तलवाना पेश नहीं किया है एवं ना ही कोई समुचित कारण ही बताया है जबकि वक्त निर्णय वादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट अपने दावे के संचालन में घोर लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। परन्तु न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर दावे को खारिज करने के बजाय, गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। लिहाजा हम अपील, कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः आदेश है कि अपील, अपीलाण्ट द्वारा 500/– रूपये, अक्षरे पॉच सौ रूपये कोस्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय कोस्ट जमा होने पर मूल दावे को पुनः दर्ज रजिस्टर करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official